मध्य रेल | मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय
संरक्षा शाखा, पुणे

संख्या. पुणे/ सं. / संरक्षा परिपत्र / 38 / 10 -11 | दि. 24.09..2010

सभी संबंधित
पुणे मंडल

<u>संरक्षा परिपत्र संख्या 08 / 2010-11</u>

विषय – बिना ब्रेक यान की गाड़ी का संचालन की पद्धती।
संदर्भ - साधारण नियम 4.23 सहायक नियम 4.23-1

सा. नि. 4.23 ब्रेकयान : -

1) आपात स्थिति में या विशेष अनुदेशों के आधीन की गई व्यवस्था के सिवाय, किसी गाड़ी को तब तक किसी ब्लाक सेक्शन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि उसके साथ एक या एक से अधिक ब्रेकयान या हैंडब्रेक वाहन नहीं लगे हैं।

2) यह नियम रेल कार, अकेले इंजन या आपस में जुडे अकेले इंजनो को लागू नही होगा।

S.R.4.23-1. **निम्नलिखित माल गाड़ियां बगैर माल-ब्रैकयान के चलायी जा सकती हैं लेकिन पिछले डिब्बे में बगैर पिछली बत्ती अथवा पिछली तख्ती के उन्हें नही चलाया जायेगा।**

i) कोलियरी पायलट

ii) यार्ड और सायडिंग के बीच कार्य करने वाला गुड्स पायलट जिसे मेन लाइन पर से नहीं गुजरना पडता।

iii) नजदीक के विशिष्ट मार्गो पर गुड्स शटल गाड़िया जिन्हें इंजन आगे लगा कर चलाया जायेगा जिसके लिये मुख्य संरक्षा अधिकारी से पहले ही स्वीकृति ले ली जायेगी।

iv) **बिना ब्रेकयानों के मालगाड़ियों का संचालन -**

क) परिचालन व्यवस्था को लगातार बनाये रखने के लिये आपात स्थिति में वरिष्ठ परिचालन / परिचालन प्रबंधक बिना ब्रेक यान के गाड़ी चलाने की अनुमति दे सकते है।

ख) बिना ब्रेक यान की गाड़ियां नियत्रित खण्डों पर ही चलाई जायेगी।

ग) सम्पूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर बिना ब्रेक यान की गाड़ीयों का संचालन प्रतिबंधित है।

घ) बिना ब्रेक यान की गाडियों में खराब वेगन / वाहन को नहीं लगाना चाहिये।

ड) **बिना ब्रेक यान का मालगाड़ी चलाते समय निम्नलिखित विधि को ध्यान में रखना चाहिये :-**

i) गार्ड इंजन में यात्रा करेगा। स्टेशन से गाड़ी बिना रूके जाते समय स्टेशन की तरफ गार्ड और विपरीत दिशा में सहा. ड्राईवर हाथ सिग्नलों का आदान – प्रदान करेंगा। वे पीछे की तरफ देखकर सुनिश्चित करेंगे कि गाड़ी सुरक्षित स्थिति में चल रही है।

ii) गाड़ी में निर्वात / ऐयर प्रेशर की मात्रा इंजन से लेकर अंतिम वाहन तक लगातार तथा पर्याप्त होनी चाहिये। गाड़ी परिक्षक को ब्रेक पावर प्रमाण पत्र पर स्पष्ट रूप से अन्तिम लाहन का नबंर और प्रकार लिखना चाहिये।

iii) गार्ड द्वारा टेल लेम्प टेल बोर्ड अंतिम वाहन पर लगा कर इंजन में यात्रा करना चाहिये । यदि अन्तिम वाहन सी. बी. सी. कप्लिंग वाला हो तो गार्ड टेल लेम्प टेल बोर्ड को अनुमोदित आकार के क्लेंप द्वारा अंतिम वाहन पर लगायेगा उपरोक्त स्थिति में यदि क्लेम्प नहीं हो और अंतिम वाहन पर टेल लेप टेल बोर्ड नहीं लगाया जा सके तो ब्रेक यान के बिना गाड़ी चलाने की अनुमती नहीं है ।

iv) इंजन में यात्रा करते समय गाड़ी के गार्ड को बार-बार पीछे की ओर देखते रहना चाहिये ।

v) प्रारंभिक स्टेशन के स्टेशन मास्टर बिना ब्रेकयान की गाड़ी स्टेशन से रवाना करने से पहले खण्ड नियंत्रक को सूचित करेगा और अंतिम वाहन का नबंर, प्रकार एवं प्राइवेट नबंर के आदान प्रदान के साथ देगा । स्वचल ब्लाक खण्ड पर खण्ड नियंत्रक सिग्नल आदान प्रदान करने वाले नामित स्टेशन के स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना देंगे ।

vi) स्टेशन मास्टर / स्विचमेंन जब इस प्रकार की गाडियों के लिये लाइन क्लीयर मागेंगे तो विशेष रूप से बतायेंगे कि बिना ब्रेकयान की गाड़ी के लिये लाइन क्लियर मांग रहे है । यद्यपि स्वचल ब्लाक खण्ड पर हाथ सिग्नल आदान प्रदान करने वाले नामित स्टेशन के स्टेशन मास्टर काँटेवाला यह सुनिश्चित करने के लिये जिम्मेदार होगें कि बिना ब्रेकयान की गाड़ी उनके स्टेशन से अंतिम वाहन के साथ टेल लैंम्प / टेल बोर्ड सहित थ्रू गई है ।

vii) स्टेशन मास्टर के कैबिन कर्मचारी सेक्शन क्लीयर करने के पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि गाड़ी टेललैम्प / टेल बोर्ड के साथ सुरक्षित रूप से गई है । यदि किसी कारणवश या अग्रता क्रॉसिंग देने के लिये गाड़ी स्टेशन पर खड़ी की जाती है तो स्टेशन मास्टर कैबिन को गार्ड के पास पहले से ही पूरी गाड़ी रजिस्टर भेज देना चाहिये गार्ड व्यक्तिगत रूप से अंतिम वाहन पर टेल लैम्प / टेल बोर्ड सहित पूरी गाड़ी उल्लंघन चिन्हे के अंदर आ गयी है यह सुनिश्चित करेगा एवं स. नि. 4.56-1 (ग) के अनुदेशों का पालन करेगा ।

viii) नियंत्रण कार्यालय में बिना ब्रेकयान की गाड़ी चलाने के लिये एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसपर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक या परिचालन प्रबंधक अपनी अभिस्वीकृति के रूप में कि बिना ब्रेक यान की गाड़ी उनकी अनुमति से चलायी गई है हसताक्षर करेंगे ।

ix) ब्रेक यान में उपस्थित रहते समय गार्ड जिन डयूटियों को प्रतिपादित करता है जैसे हेण्ड ब्रेक लगाना (गाड़ी खण्डित होने पर) ड्राइवर से सिग्नल आदान प्रदान करना आदि कार्य इस स्थिति में लागू नहीं होगे ।

x) बिना ब्रैक यान की गाड़ी सिर्फ आपात स्थिति में चलाई जायेगी और पहले ही अवसर पर माल गाड़ी ब्रेक यान उपलब्ध होने पर लगा दिया जायेगा ।

च) यदि रास्ते में निर्वात / एयर प्रेशर की समस्या होती है तो निम्नलिखित विधि का पालन करना चाहिये ।

यात्रा के दौरान यदि बिना ब्रेक यान की गाड़ी में समस्या होती है तो गाड़ी के गार्ड द्वारा संचालन के लिये निम्नलिखित कार्य करना चाहिये :-

i) गार्ड सहा. ड्राईवर के साथ सम्पूर्ण गाड़ी के होज पाइप के डिसकनेक्शन या लीकेज को देखेंगे यदि स्टेशन सीमा में इस प्रकार की निर्वात / एयर प्रेशर संबंधी कठिनाई आती है तो कैरेज एवं वैगन कर्मचारी या काँटेवाले की मदद ली जा सकती है ।

ii) गार्ड सहायक ड्राइवर की सहायता से होज पाईप लीकेज रोकने का प्रबन्ध करेंगे कि गाड़ी की निर्वात / एयर प्रेशर समस्या ठीक कर ली गयी है और इंजिन में पर्याप्त मात्रा में निर्वात / एयर प्रेशर उपलब्ध है तभी गाड़ी आगे बढ़ायेंगे ।

iii) ड्राईवर द्वारा प्रथम ब्लाक खण्ड में गाड़ी का “ फिल टैस्ट” करने के बाद इसके आधार पर गाड़ी की गति को नियंत्रित किया जायेगा ।

(सु. रविचंद्रन)

मंडल संरक्षा अधिकारी / पुणे